रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12082025-265368
CG-DL-E-12082025-265368

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 210] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 11, 2025/श्रावण 20, 1947
No. 210] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 11, 2025/SHRAVANA 20, 1947

श्रम और रोजगार मंत्रालय

(केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड)

संकल्प

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2025

फा.सं. एस-16012/03/2015-एल.डब्ल्यू (बी).—ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 31 के अंतर्गत दिनांक 07.07.2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 959(अ) के आधार पर उक्त अधिसूचना की अनुसूची में दिए गए कार्यों में ठेका श्रमिकों के नियोजन के संबंध में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट (पूर्व कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट) को छूट देने पर विचार करने के लिए एतद्वारा एक समिति का गठन करता है।

2. समिति का गठन और इसके विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:-

1. श्री सुरेंद्र कुमार पांडे, -अध्यक्ष
क्वार्टर नं. 107 पो-विश्रामपुर कोलियारी,
जिला-सूरजपुर, छत्तीसगढ़।
2. कार्यकारी निदेशक, स्थापना -सदस्य
(श्रम कानून) रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)
कक्ष संख्या 369, रेल भवन,
नई दिल्ली-110001
3. श्री दिलीप कुमार चक्रवर्ती, - सदस्य
मकान नंबर 322ए, भगवान दास चित्रकार हाता,
हुमायूंपुर उत्तरी, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश -273015

4. श्री शिव कुमार यादव – सदस्य
अध्यक्ष, कोयला श्रमिक सभा
डब्ल्यूसीएल मुख्यालय, सिविल लाइन्स
कोयला संपदा, नागपुर-440018

3 प्रस्तावित समिति के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार से होंगे:—

"यह अध्ययन करना कि दिनांक 07.07.2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 959(अ.) के प्रति उक्त अधिसूचना की अनुसूची में दिए गए कार्यों में ठेका श्रमिकों के नियोजन का निषेध करते हुए दिनांक 07.07.2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 959(अ) की अनुसूची में विनिर्दिष्ट कार्यों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट (पूर्व कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट) को छूट की मंजूरी उचित है या नहीं।"

4. समिति का मुख्यालय कोलकाता में होगा। समिति तीन माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

जय भगवान, सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(Central Advisory Contract Labour Board)

RESOLUTION

New Delhi, the 11th August, 2025

F.No. S-16012/03/2015-L.W(B).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to consider the Grant of exemption to Shyama Prasad Mookerjee Port (formerly Kolkata Port Trust) under section 31 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 against Notification No. S.O. 959(E) dated 07.07.2005 in the schedule to the said Notification.

2. The composition of the Committee and its terms of reference will be as under: -

1. Shri Surendra Kumar Pandey, -Chairman
Bharatiya Mazdoor Sangh,
Qutr. 107 Po-Vishrampur Koliyari,
District- Surajpur, Chhatisgarh.

2. The Executive Director Establishment - Member
(Labour Laws)
Ministry of Railways (Railway Board)
Room No. 369, Rail Bhawan,
New Delhi-110001

3. Shri Dilip Kumar Chakraborty - Member
House No. 322A, Bhagwan Das Chitrakar Hata,
Humayunpur North,
Gorakhpur, Uttar Pradesh -273015.

4. Shri Shiv Kumar Yadav - Member
President
Koyala Shramik Sabha
WCL Headquarter, Civil Lines
Coal Estate, Nagpur-440018

3. The terms of reference of the proposed Committee would be as follows:—

"To study whether there is justification to grant exemption to Shyama Prasad Mookerjee Port (formerly Kolkata Port Trust) in the works specified in the schedule to the notification No. S.O. 959(E) dated 07.07.2005 prohibiting employment of Contract Labour."

4. The Headquarters of the Committee will be at Kolkata. The Committee shall submit its report within three months.

JAI BHAGWAN, Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.08.12 16:25:28 +05'30'